

उत्तरांचल सरकार  
वित्त अनुभाग-9  
संख्या- 42 /XXVII(9)/स्टाम्प/2006  
देहरादून: दिनांक 30 अक्टूबर, 2006  
अधिसूचना

राज्यपाल, (समय-समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-2 1899) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की ओर से उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) द्वारा उत्तरांचल के अन्तर्गत उद्यमियों को "सूचना प्रौद्योगिकी पार्को" तथा अन्य "थीम पार्को" के लिये उपलब्ध करायी जाने वाली विकसति भूमि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) की छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(इन्दु कुमार पाण्डे)  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 42(1)/XXVII(9)/स्टाम्प/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तरांचल।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
4. समस्त जिला-निबन्धक, उत्तरांचल।
5. उप-निदेशक, राजकीय प्रेस रूडकी को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रजी अधिसूचना को उसी दिनांक के आसाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200-200 प्रतियाँ शासन के वित्त अनुभाग-9 को अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)  
अपर सचिव।